न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर।

पीठासीन अधिकारी, श्री बी.एल.मेहरड़ा, आर0ए0एस0

अपील संख्याः–46/2013 (2013/00047)225/ब्यावर

1.शंकर सिंह पुत्र चतरसिंह जाति रावत
2.कमला पुत्री चतरसिंह जाति रावत
3.श्रीमती धन्नी बेवा चतरसिंह जाति रावत बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद चतरसिंह वल्द बन्ना व बन्ना वल्द देवा जाति रावत निवासी गांव भोजपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. श्रीमती लाड़ी बेवा पूना जाति रावत निवासी गांव भोजपुरा तहसील ब्यावर बहैसियत स्वंय व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व.पूना बल्द गुमाना जाति रावत निवासी गॉव भोजपुरा तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
2. श्रीमती संतोष पुत्री हजारी जाति रावत निवासी गॉव भोजपुरा तहसील ब्यावर हाल निवासी बाग बैरा, बलाड़ तहसील ब्यावर जिला अजमेर।
3. श्रीमती तुलसी देवी पत्नि रतनसिंह चौहान जाति रावत निवासी आरजू कॉलोनी, हीरा नगर, मसूदा रोड़, ब्यावर जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः–

3/1 रतनसिंह पुत्र नाम नामालुम जाति रावत
3/2 मनोजसिंह वल्द रतनसिंह जाति रावत
3/3 प्रदीपसिंह बल्द रतनसिंह जाति रावत
3/4 श्रीमती संतोष पुत्री रतनसिंह जाति रावत
3/5 श्रीमती ललिता पुत्री रतनसिंह जाति रावत
समस्त निवासी आरजू कॉलोनी, हीरा नगर, मसूदा रोड़, ब्यावर जि.अजमेर।

4. घीसूलाल बल्द देवी लाल जाति भांबी निवासी गॉव भोजपुरा तहसील ब्यावर।
5. राजस्थान सरकार जरिये भू–धारक तहसीलदार,ब्यावर।
6. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक, ब्यावर।

रेस्पोडेन्टस

7. श्रीमती सुगना बेवा लक्ष्मण जाति रावत हाल नातायत पत्नि मदनसिंह जाति रावत निवासी फतहपुरीया दोयम तहसील ब्यावर जिला अजमेर।

तरबीबी रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर,ब्यावर के आदेश दिनांक 26.11.2012, प्रकरण संख्या 112/2011

उपस्थितः–

1. श्री ज्ञानचन्द गादिया एड़वोकेट अपीलांटस की ओर से।
2. श्री सूरजसिंह चौहान एड़वोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1से 3/5 की ओर से।
3. श्रीधर्मवीर चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5, 6 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02, 4 ,7 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 30.04.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 28.11.2012, प्रकरण संख्या 112/2011 के विरूद्ध प्राप्त हुई है।

2. अपील संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम भोजपुरा तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नम्बर 249, 289, 290, 306,307, व 308 जिसके वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 02 व 7 के पूर्वज देवा की खातेदारी में थी। खसरा नम्बर 308, 289, 285, व 299 में प्रतिवादी संख्या 01 के पति तथा प्रतिवादी संख्या 02 के बड़े पिता ने अपना 1/2 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.04.1977 को चतर सिंह को विक्रय कर दिया। अतःइन नम्बरों पर स्व.चतरसिंह के हिस्से के मालिक हो गये उनके बाद उनके वारिसान के नाम चली आ रही है। खसरा नम्बर 308 के पूरे हिस्से व अन्य आराजी के 1/2 हिस्से को रकम की आवश्यकता के चलते रहन हेतु पटवारी हल्का से अभिलेख चाहे जाने पर उसने बताया कि वाद ग्रस्त भूमियों में प्रतिवादी संख्या 01 व 2 का ही नाम चला आ रहा है इसी का फायदा उठा कर प्रतिवादी संख्या 01 ने खसरा नम्बर 249, 289, 290 व 308 बजरिये बेचाननामा दिनांक 22.11.2010 को प्रतिवादी संख्या 3 को बेचान कर दिया। जिसका अमल भी उसके नाम हो गया। उक्त बेचान वादीगण के हको पर प्रभाव शून्य है वे इससे पाबंद नही है। इसी प्रकार विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 156 हाल नम्बर 217 में राजस्व कर्मियों द्वारा गैरकानूनी रूप से प्रतिवादी संख्या 04 का नाम लगा दिया जिसे दुरूस्त किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01, 2 व 7 के नाम लगाया जावे। प्रतिवादी 3 के नाम राजस्व अभिलेख में आ जाने से वे सारी भूमियों पर कब्जा करने की धमकिया दे रहे है। अतः वाद व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की आवश्यकता हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.11.2012 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज कर दिया। अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, ब्यावर के आदेश दिनांक 26.11.2012 से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया एवम अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलबी की गयी। रेस्पोडेन्ट संख्या 2/1 से 3/5 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुए किन्तु अपील के सुनवाई पर उपस्थित नहीं हुए। तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी।

4. अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी/प्राथीगण के पूर्वज बन्ना वल्द देवा का नाम राजस्व जमाबंदी में बतौर खातेदार काश्तकार रहा हैं व राजस्व कर्मचारियों की गलती से उनका नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से रह गया हैं। विवादित आराजी अपीलार्थी/प्रार्थीगण की पुश्तैनी एवं कब्जेकाश्त की आराजियात है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह उपपति देकर की वादीगण के नाम का इन्द्राज वर्किंग जमाबंदी से वर्तमान तक दर्ज नही हैं तथा चौसाला जमाबंदी पेश नहीं की व इस आधार पर आवेदन पत्र निरस्त कर भारी भूल की है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतिम चौसाला जमाबंदी पेश की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत आदेश मैकेनीकल रूप से पारित कर भारी भूल की है यहॉ तक कि अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो तत्व यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अपीलार्थीगण के पक्ष में होने के बावजूद एवं आदेश में उक्त तीनो बिन्दु का विस्तृत विवेचन किये बिना ही आदेश पारित किया हैं जो विधि सम्मत नही है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2012 निरस्त किया जावें एवं अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जावे।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

5. हमने उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट के पक्ष में होना माना है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई विवेचन व विश्लेषण अपने निर्णय में नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.1.2012 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जा.दी. का निस्तारण नहीं किया है तथा अपीलांटस प्रस्तुत दस्तावेजात का समालोचन किये बिना सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज.काश्तकारी अधि. को खारिज किया है। राज.काश्तकारी अधिनियम 212 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक तीन घटक यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आज्ञापक है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है।

6. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2012 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे।

(बी.एल.मेहरड़ा) 30/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. आदेश आज दिनाक 30.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी.एल.मेहरड़ा) 30/4/19
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर